फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत मुकाम .जिला कलक्टर,भरतपुर
रामवती वगे0 बनाम राज.सरकार तहसीलदार भरतपुर
प्रा. पत्र विविध 65 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
30.8.24	कार्यालय से आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र रामवती पुत्री फगुनी पत्नी मुन्नालाल जाति जाटव निवासी जघीना तहसील भरतपुर पर पेश हुई। प्रार्थी/अपीलान्ट के अभिभाषक हरिदत्त शर्मा उप0 सुना गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि एक अपील उनवानी रामवती वगे. बनाम तहसीलदार भरतपुर श्रीमान न्यायालय में पेश की गई थी। अपील का निर्णय दिनांक 13.9.2022 को अपील स्वीकार कर तहसीलदार भरतपुर को रिमान्ड की गई है। निर्णय में नामान्तकरण संख्या 642 दिनांक 10.12.2004 किस ग्रांम का है अंकन होने से रहगया है। निर्णय दिनांक 13.9.2022 दाखिल खारिज संख्या 642 ग्रांम जघीना प्रथम दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई है। मूल पत्रावली अपील नम्बर अपील नं. 11/21 उनवान रामवती वगे. बनाम तहसीलदार भरतपुर निर्णय दिनांक 13.9.2022 बाबत दाखिल खारिज संख्या 642 का अवलोकन किया गया। निर्णय में लिपकीय/टंकण भूल से दाखिल खारिज संख्या 642 के आगे ग्रांम जघीना प्रथम दर्ज होने से रह गया है। निर्णय में दाखिल खारिज संख्या 642 तारीखी 10.12.2004 के आगे ग्रांम जघीना प्रथम तहसील भरतपुर अंकन किया जाना उचित पाते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.9.2022 में दाखिल खारिज संख्या 642 के आगे ग्रांम जघीना प्रथम तहसील भरतपुर पढा जावे का नोट निर्णय में दर्ज किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही मूल पत्रावली अपील नं. 11/21 में शामिल रहे। जिला कलक्टर भरतपुर (राज०	